Order Sheet (subsequent)

राजस्थान राज्य बनाम गौरव शुक्ला उर्फ शिम्पू

सेशन प्रकरण संख्या : 78/2023

Date	Order with initials of Presiding Officer	Brief note of compliance of the order
13.02.2026	लोक अभियोजक उपस्थित। अभियुक्त गौरव शुक्ला उर्फ शिम्पू अनुपस्थित, जिसकी हाजरी माफी का प्रार्थना–पत्र जरिये अधिवक्ता अभियुक्त श्री भारत भूषण सक्सेना पेश हुआ, जो आज के लिए स्वीकार किया गया। साक्ष्य में गवाह पी.डब्ल्यू.09 डॉ. महेश यादव के बयान लेखबद्ध किये गये, शामिल मिसल रहे। गवाह संख्या 8 व 9 बावजूद सम्मन की बाद तामील अनुपस्थित। साक्ष्य अभियोजन में गवाह संख्या 8, 9 को जर्ये जमानती वारंट रूपये 2000/– से एवं गवाह संख्या 12 को जर्ये सम्मन तलब किया जावे। हस्तगत प्रकरण लक्षित प्रकरणों की सूची में शुमार है। गवाहान की तामील आवश्यक रूप से जरिये नोडल अधिकारी कराई जावे। तामीलों पर लाल स्याही से नोट अंकित किया जावे कि गवाहान की तामील विशेष वाहक द्वारा कराई जावे। पत्रावली वास्ते साक्ष्य अभियोजन दिनांक 25.02.2026 को पेश हो। सत्यनारायण टेलर जिला एवं सेशन न्यायाधीश बारां (राज.)	
25.02.2026	लोक अभियोजक उपस्थित। अभियुक्त गौरव शुक्ला उर्फ शिम्पू वर जमानत मय अधिवक्ता श्रीमती पूर्ति गुप्ता उपस्थित। साक्ष्य में गवाह पी.डब्ल्यू.10 शेरसिंह हैड कांनिस्टेबल के बयान लेखबद्ध किये गये, शामिल मिसल रहे। साक्ष्य के दौरान मालखाना इंचार्ज श्री शेरसिंह हैड कांनिस्टेबल 898 पुलिसथाना कोतवाली बारां द्वारा प्रकरण से संबंधित असल मालखाना रजिस्टर पेश किया, जो बाद बयान श्री शेरसिंह हैड कांनिस्टेबल को लौटाया गया, जिसकी रसीद आदेशिका पर ली गई। गवाह संख्या 8 का जमानती वारण्ट व गवाह संख्या 12 का सम्मन अदम तामील में प्राप्त हुआ है। अतः साक्ष्य अभियोजन में गवाह संख्या 8 को पुनः जर्ये जमानती वारंट रूपये 2000/– से एवं गवाह संख्या 12 व 13 को जर्ये सम्मन तलब किया जावे। हस्तगत प्रकरण लक्षित प्रकरणों की सूची में शुमार है। गवाहान की तामील आवश्यक रूप से जरिये नोडल अधिकारी कराई जावे। तामीलों पर लाल स्याही से नोट अंकित किया जावे कि गवाहान की तामील विशेष वाहक द्वारा कराई जावे। अदम तामील की सूरत में तामील कुनिन्दा बरोजपेशी स्वयं न्यायालय में उपस्थित होकर अपना स्पष्टीकरण पेश करें। पत्रावली वास्ते साक्ष्य अभियोजन दिनांक 09.032026 को पेश हो।	

सत्यनारायण टेलर
जिला एवं सेशन न्यायाधीश
बारां (राज.)